

पुलिस सुधार: आवश्यकता, चुनौतियाँ एवं समाधान

“पुलिस सुधार की दशा और दशा अपने आप तय हो रही है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं”। ये शब्द हैं देश की सर्वोच्च न्यायापालिका के। वदिति हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह वक्तव्य पुलिस सुधारों को तुरंत लागू किये जाने की मांग करती एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। देश की शीर्ष अदालत का इस तरह से नःसहाय हो जाना अखरता है, लेकिन पुलिस सुधारों की प्रगतिपर नज़र डालें तो न्यायापालिका का हतोत्साहित होना आश्चर्यचकित नहीं करता है।

पुलिस व्यवस्था क्या है?

दरअसल, पुलिस बल राज्य द्वारा अधिकारित व्यक्तियों का एक गठित निकाय है, जो राज्य द्वारा नरिमित कानूनों को लागू करने, संपत्ति की रक्षा और नागरिक अव्यवस्था को सीमिति रखने का कार्य करता है। पुलिस को प्रदान की गई शक्तियों में बल का वैध उपयोग भी शामिल है। पुलिस बल को राज्य की रक्षा में शामिल सैन्य या अन्य संगठनों से अलग बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। हालाँकि, सचचाई यह है कि वर्तमान समय में पुलिस व्यवस्था अपना उदात्त स्वरूप खो चुकी है।

क्यों ज़रूरी है पुलिस सुधार ?

- आज आम आदमी को अपराधी से जतिना डर लगता है, उतना ही डर पुलिस से भी है। उदाहरणार्थ किसी अपराधी गरिह द्वारा हत्याएँ किये जाने अथवा किसी बड़े बैंक में डकैती डालने की घटना सामने आते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, जब अपराधी अपना काम करके निकल जाते हैं तो लोग अपने घरों से निकलते हैं और पुलिस को देखते ही पुनः एक बार फरि अपने घरों के खड़िकी, दरवाज़े बंद कर लेते हैं। इन घटनाओं से तो यही प्रतीत होता है कि पुलिस ने जनता का सहयोगी होने के अपने दायित्व को भुला दिया है।
- जैसे-जैसे हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है उसमें साइबर अपराध और धोखाधड़ी जैसे अपराधों की संख्या में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। भ्रष्टाचार आज हमारे देश में संक्रामक रोग की तरह फैल चुका है। जब भ्रष्टाचार हमारे जीवन का एक अंग बन गया हो तो फरि पुलिस व्यवस्था कैसे इससे अछूती रह सकती है। हमारी पुलिस व्यवस्था में सुधार कर उसे बदलते वक्त के अनुरूप बनाना होगा।
- वरषिठ पुलिस अधिकारी जनिसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे पीड़ित लोगों को न्याय प्रदान करेंगे तथा उन्हें समाज वरिधी तत्वों से बचाएंगे। वरषिठ अधिकारी जो कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कृतसंकल्प हो, वह जैसे ही सुधारों की प्रक्रिया आरम्भ करता है उसका तबादला कर दिया जाता है। दरअसल, पुलिस व्यवस्था में सुधार के जो पहलू हम फलिर्मों में देखते हैं, व्यवहारिक तौर पर सम्भव नहीं है।
- पुलिस व्यवस्था में बदलाव एक संगठन में लाए जाने वाले बदलावों की तर्ज़ पर ही लाया जा सकता है और कोई भी वरषिठ अधिकारी, अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रवृत्ति में रातोंरात बदलाव नहीं ला सकता है। लेकिन तबादलों से तंग वरषिठ अधिकारी वर्ग अब तो जैसे सुधारों की प्रक्रिया से ही तौबा कर चुका है। पुलिस व्यवस्था में जड़ जमा चुकी इस वसिगति को बदलने के लिये पुलिस सुधार तो करना ही होगा।
- गौरतलब है कि अभी तक कोई ऐसा तरीका विकसित नहीं किया जा सका है जिससे अपराधी को सभ्य ढंग से अपराध कबूल करने के लिये प्रेरित किया जा सके और शायद कभी कर भी न पाएँ, इसलिये ‘थरड डगिरी’ का हम चाहे जतिना वरिध करें, उसकी कुछ न कुछ ज़रूरत शायद हमेशा बनी रहेगी। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ नरिदोष व्यक्तियों के साथ ज़्यादाती होती है और हमारी पुलिस इतनी संवेदनशील नहीं है कि वह स्वयं को नरिदोष व्यक्तियों के दुःखदर्द से जोड़ सके।

प्रकाश सहि का योगदान

- वस्तुतः राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना तो वर्ष 1977 में कर दी गई थी, लेकिन पुलिस सुधारों की चर्चा को जीवंत रखने और शीर्ष न्यायापालिका में ले जाने का श्रेय प्रकाश सहि को जाता है। वर्ष 1996 में पूर्व डीजीपी प्रकाश सहि ने 1977-81 के पुलिस आयोग की भुला दी गई सुधार-सफ़ारिशों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। प्रकाश सहि उत्तर प्रदेश और असम जैसे कानून-व्यवस्था के लहिाज़ से मुश्किल माने जाने वाले राज्यों में पुलिस महकमे के मुखिया के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख भी थे अतः यह स्वाभाविक है कि कानून-व्यवस्था को सक्षम बनाने की राह में व्यवस्थाजन्य बाधाओं को वे बखूबी समझते होंगे।
- प्रकाश सहि की पहल से दस वर्ष में आए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सफ़ारिशों के अनुरूप, पुलिस को राजनीति और नौकरशाही के बेजा दबावों से मुक्त करने और उसकी कामकाजी स्वायत्तता को बाह्य नगरानी के अपेक्षाकृत व्यापक माध्यमों से संतुलित करने पर बल दिया। हालाँकि, इन नरिदेशों का (कुछ हद तक केरल को छोड़ कर) तमाम राज्यों और केंद्र ने भी अब तक छद्म अनुपालन ही किया है।

सर्वोच्च न्यायालय के नरिदेश

- सर्वोच्च न्यायालय का पुलिस सुधार मुख्यतः स्वायत्तता, जवाबदेही और लोकनमुखता के बढिओं पर केंद्रित है। पुलिस की स्वायत्तता को मजबूत कर उसे बाह्य दबावों से मुक्त रखने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने नरिदेश दिया कि डीजीपी, आइजी, एसपी, एसएचओ की दो वर्ष की नश्चित तैनाती

मलिन्री चाहए तधा डीजीपी और अनूय चार वरषिठतम पुलसि अधकिररयिों को उप पुलसि अधीकषक सूतर तक के तबादलों का अधकिर दयिा जाना चाहयिे । पुलसि को कानूनी चौहददी में रखने के लयिे राज्य पुलसि आयोग और पुलसि शकियत प्राधकिरण की अवधारणा पर भी वचिर कयिा गया । राज्यों को नए सरि से लोकोनमुख पुलसि अधनियिम बनाने का नरिदेश दयिा गया ।

पुलसि सुधारों की प्रकृति में बदलाव की ज़रूरत क्यों?

- पुलसि सुधार की आवश्यकता के सनदरभ में दो राय रखने वाले कम ही देखने को मलिंगे । हालाँकि कुछ वशिषज्जों का मानना है कि अब तक की सारी कयावाद कागज़ पर शानदार, पर वयवहार में 'नई बोतल में पुरानी शराब' से ज़यादा कुछ नहीं है! क्योंकि उपरोक्त प्राधकिरणों के गठन और कार्य-संस्कृति में सरकारों की न केवल नरिणायक भूमिका होगी बलकि उनके पास पुलसि को घुटने पर लाने के लयिे भी हज़ारों तरीके उपलब्ध रहेंगे । इसकी पूरी सम्भावना है कि दो वरष की स्वायत्तता के लयिे कोई भी पुलसिकरमी अपना पैंतीस वरष का सेवाकाल और सेवा-उपरांत फायदा दाँव पर नहीं लगाएगा । अतः वर्तमान सुधारों में पुलसि बल को बना अदालती आदेश और जॉच-पड़ताल के डर के नागरकि-संवेदी बनाए जाने को भी जोड़ना होगा ।

क्या हो आगे का रास्ता ?

- गौरतलब है कि लोकतांत्रकि प्रणाली में राजनीतिक सत्ता को एक सरि से खारज़ि नहीं कयिा जा सकता । इस बात का संज्ज्ञान न तो सर्वोच्च नयायालय ने लयिा और न ही पुलसि सुधार पर केंद्रति कसिी भी आयोग या समति का ऐसा मत रहा है । हमें समझना होगा कि लोकतांत्रकि पुलसि सुधार का क्रयिाशील आधार एक सशक्त समाज ही हो सकता है, न कि समाज-नरिपेक्ष पुलसि स्वायत्तता । पुलसि के वर्तमान कामकाजी संबंधों के अंतर्गत ही एक संवेदी और लोकोनमुख कानून-वयवस्था का नरिमाण, प्रशासनकि सुधारों के माध्यम से हासलि कर पाना संभव नहीं होगा । अतः पहले पुलसि नयिकृतयिों की गुणवत्ता में वृद्धि करनी होगी । चूँकि पुलसि में आया हुआ वयक्त हमारे बीच का ही है, इसलयि पुलसि सुधारों की रुपरेखा तय करते समय समाजशास्त्र के नयिमों को भी धयान में रखना होगा ।
- वदिति हो कि जनि राज्यों में सर्वोच्च नयायालय के नरिदेशों पर अमल हो रहा है वहाँ भी वरषिठ अधकिररयिों को दो साल की बात कौन करे यहाँ तक कि दो महीने में ही तबादला कर दयिा जा रहा है और कहीं से वरिध की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है । यह दखिावटी सुधारों की ही स्थिति है । वस्तुतः पुलसि सुधार की वर्तमान कयावद पुलसि को सत्ता के प्रतषिठान से मुक्त करने की कोशशि पर आधारति है । इस कयावाद में पुलसि को बाहय नगिरानी के माध्यम से संतुलति रखने की परकिल्पना भी शामिल है । इसमें कोई शक नहीं है कि पुलसि सुधार के लयिे ये सारे प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं, लेकनि इन प्रयासों के साथ-साथ पुलसि को नागरकि-संवेदी बनाने पर भी बल देना होगा ।

नषिकरष

- “जाके पांव न फटी बविाई वो क्या जाने पीर पराई” । पुलसि सुधारों के सनदरभ में यह कथन एकदम सटीक बैठता है । स्वतंत्रता-प्राप्ति के साथ ही यह मान लयिा गया कि प्रशासनकि मशीनरी अपने आप लोकोनमुख हो जाएगी । लेकनि जब राजनीतिक सत्ता का चरतिर ही खास नहीं बदला तो नौकरशाही या पुलसि का कैसे बदलती । पुलसि सुधार, केवल 21वीं सदी की ज़रूरत नहीं है बलकि आज़ादी के बाद से ही इसमें सुधार की गुंजाइश थी जो समय के साथ और बढ़ती चली गई । “एक मज़बूत समाज अपनी पुलसि की इज्जत करता है और उसे सहयोग देता है, वहीं एक कमज़ोर समाज पुलसि को अवशिवास से देखता है और प्रायः उसे अपने वरिध में खड़ा पाता है” । अतः पुलसि सुधारों को सामाजकि कल्याण से जोड़कर ही इनके वास्तवकि उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है ।